भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3696

11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

उन्नत रसायन सेल बैटरी

3696. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन्नत रसायन सेल बैटरियों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत 10 गीगावाट घंटे की कुल क्षमता वाले उन्नत बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की हैं,

(ख) क्या इसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करके आयातित उत्नत रसायन सेल बैटरियों पर निर्भरता को कम करना है,

(ग) क्या सरकार ने देश में 50 गीगावाट घंटे की बैटरी विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी; और

(घ) यदि हों, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): जी हाँ।

(ख): जी हाँ।

(ग): जी हाँ।

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय देश में 50 गीगावाट-घंटा की घरेलू उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से कुल ₹18,100 करोड़ परिव्यय वाली "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। लक्षित 50 गीगावाट-घंटा विनिर्माण क्षमता में

से 40 गीगावाट-घंटा क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा शेष 10 गीगावाट-घंटा एसीसी क्षमता को ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित किया गया है।

पीएलआई एसीसी स्कीम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाकर तथा बड़े घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उद्यमों को देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर आयातित एसीसी पर भारत की निर्भरता को कम करना है।

*****